REPORT ON COMPUTATION OF ENVIRONMENTAL COMPENSATION BY MPPCB

IN

Original Application No.66/2020 (CZ)

Atul Agarwal

Vs.

State of M.P. & Ors.

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL

Original Application No. 66/2020

Petitioner **Atul Agarwal**

Versus

Respondents **State Of M.P. & Others**

REPORT ON COMPUTATION OF ENVIRONMENTAL COMPENSATION BY MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD [MPPCB]

IN COMPLIANCE OF DIRECTIONS PASSED IN ORDER DATED 02.09.2020

1. That, the Hon'ble Tribunal vide its order dated 02.09.2020 had directed the answering respondent as under :-

   " *Perusal of the report reveals that at point no. iv, it is reported that one stone crusher in Pamakhedi is established without consent of MP Pollution Control Board. Closure direction has been issued to the unit under the provisions of Air Act, 1981. The unit is closed and electricity supply to the unit is also terminated.*

   The State Pollution Control Board is directed to take necessary action for calculation of environmental compensation and take necessary steps to recovery in accordance to law and further action taken report be submitted on 19.10.2020"

2. That, the Regional Officer of the MPPCB has computed the environment compensation liable to be paid by M/s Ashish Raghav Stone Crusher, village Pamakhedi, Khasra No. 552/1, Tehsil and Dist Sagar for operating from 25.02.2020 to 22.03.2020 without obtaining consent from the MPPCB. The regional officer has proposed the Environmental compensation of Rs 1,62,500/- to be levied on the defaulting unit.

3. It is most humbly submitted that the MPPCB is in the process of levying the said Environmental compensation on M/s Ashish Raghav Stone Crusher. That, the Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to take the above stated report in compliance of order dated 02.09.2020 on record.

Date :- 16.10.2020

Submitted By:-

Parul Bhadoria
[Advocate, MPPCB]

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
दीन दयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, सागर
Telefax-07582-263774, E-mail-romppcb_sagar@rediffmail.com

कमांक 719 /क्षे.का./प्रनिबो/2020 सागर, दिनांक 14/10/20

प्रति,

सदस्य सचिव,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल।

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्र.क. 66/2020 (अतुल अग्रवाल विरूद्व मध्य प्रदेश शासन व अन्य) में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में।

सन्दर्भः– माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्र.क. 66/2020 (अतुल अग्रवाल विरूद्व मध्य प्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 02.09.2020 को पारित आदेश में म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया है कि ग्राम–पामाखेड़ी तहसील व जिला–सागर में बोर्ड की सम्मति के बिना स्थापित स्टोन केशर का Environmental Compensation निर्धारित कर नियमानुसार जमा कराने की कार्यवाही की जाये।

चूँकि इकाई द्वारा बोर्ड से सम्मति प्राप्त नहीं की गई है अतः उद्योग स्थापना दिनांक के संबंध में संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार उद्योग की स्थापना माह फरवरी 2020 में की गई एवं दिनांक 25.02.2020 से 22.03.2020 तक (26 दिन) संचालित होना पाया गया। अतएव पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु माननीय अधिकरण के निर्देशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई गाइड लाईन के अनुसार गणना आकलन **(रू0. 1,62,500/– मात्र**) संलग्न कर प्रेषित है। कृपया नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने का अनुरोध है, जिससे प्रकरण में आगामी तिथि दिनांक 19.10.2020 को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आकलन।

(एस.पी.झा)
क्षेत्रीय अधिकारी, सागर

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्र.क. 66/2020 (अतुल अग्रवाल विरूद्व मध्य प्रदेश शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 02.09.2020 के परिप्रेक्ष्य में इन्वायरमेंट कम्पनसेशन का आकलन –

1. **<u>क्रेशर इकाई का नाम एवं पता</u>** – मे. आशीष राघव स्टोन क्रेशर, ग्राम–पामाखेड़ी ख.नं. 552/1 तह. व जिला–सागर
2. **<u>क्रेशर संचालक का नाम एवं पता</u>** – श्री आशीष राघव, न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी, सागर

उक्त स्टोन क्रेशर इकाई द्वारा बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं उत्पादन सम्मति प्राप्त किये बिना ही उत्पादन प्रारंभ किया गया। माननीय अधिकरण व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईड लाईन में इन्वायरमेंट कम्पनसेशन निर्धारण का फार्मूला निम्नानुसार है :–

EC = Pi x N x R x S x LF

EC : Environmental Compensation
PI : Pollution Index of Industrial Sector (For Stone crusher – 50 as per CPCB circular)
N : Number of Day of Violation took Place
R : A factor of Rupees for EC (Minimum-Rs. 100 & Maximum Rs. 500. It is suggested to consider R as 250 for Violation)
S : A factor for scale opreation (0.5 Micro or Small, 1-0 for Minimum and 1.5 for Large unit) category industry.
LF : Location factor (10 Km distance for the municipal boundry of the city/town)

<u>Location factor Valus</u>

S.No.	Population (Million)	Location Factor
1.	Less yhan 1	1.0
2.	1 to < 5	1.25
3.	5 to <10	1.5
4.	10 and above	1.25

चूँकि इकाई द्वारा बोर्ड से सम्मति प्राप्त नहीं की गई है अतः उद्योग स्थापना दिनांक के संबंध में संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार उद्योग की स्थापना माह फरवरी 2020 में की गई एवं दिनांक 25.02.2020 से 22.03.2020 तक (26 दिन) संचालित होना पाया गया। अतएव पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु माननीय अधिकरण के निर्देशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई गाइड लाईन के अनुसार गणना निम्नानुसार हैः–

Environmental Compensation-

EC = Pi x N X R x S X LF

Pi = Pollution index for stone crusher – 50 (for Stone crusher as per CPCB)
N = 26 days
R = 250 For violation cases
S = For SSI - 0.5
LF = 1.0 (Population less than 10 Lakh)

EC = 50 x 26 x250 x 0.5 x 1.0 = Rs. 1,62,500/-

Minimum Compensation Criteria = 5000/day x 26 = 1,30,000/-

So Environmental compensation recomended is **Rs. 1,62,500/- (One lakh sixty two thousand five hundred only)**

अतः मेसर्स आशीष राघव स्टोन क्रेशर ग्राम–पामाखेड़ी तहसील व जिला–सागर के विरूद्व उपरोक्तानुसार इन्वायरमेंट कम्पनसेशन का आकलन कर अग्रिम कार्यवाही एवं इन्वायरमेंट कम्पनसेशन निर्धारण हेतु प्रेषित।

(डॉ.आर.के.जैन)
मुख्य रसायनज्ञ

14/11/20
(एस.पी.झा)
क्षेत्रीय अधिकारी, सागर

– निरीक्षण प्रतिवेदन –

आज दिनांक 09.10.2020 को माननीय एनजीटी प्र.क. 66/2020 अतुल अग्रवाल विरूद्व म.प्र. शासन एवं अन्य के संबंध में म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं खनिज विभाग सागर के साथ ख.नं. 552/1, ग्राम–पामाखेड़ी तहसील व जिला–सागर में अवैद्य रूप से स्थापित स्टोन क्रेशर का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जानकारी निम्नानुसार है:–

1. **क्रेशर इकाई का नाम एवं पता** – मे. आशीष राघव स्टोन क्रेशर, ग्राम–पामाखेड़ी ख.नं. 552/1 तह. व जिला–सागर
2. **क्रेशर संचालक का नाम एवं पता** – श्री आशीष राघव, न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी, सागर
3. **स्थल के संबंध में जानकारी** – क्रेशर इकाई आवेदक को कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा सागर द्वारा आवॅटित उत्खनन पट्टा ख.नं. 552/1 पर स्थापित है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग झॉसी–लखनादौन मार्ग पर ग्राम–पामाखेड़ी चौराहा के पास सड़क से लगभग 160 मीटर दूर स्थापित है। क्रेशर स्थल के आसपास 500 मीटर की परिधि में कोई आवासीय क्षेत्र, विद्यालय, चिकित्सालय अथवा अन्य कोई महत्वपूर्ण स्थल स्थापित नहीं है।

4. **क्रेशर का प्रकार** – स्थापित स्टोन क्रेशर इकाई की उत्पादन क्षमता 10 टन/घंटा की है। वाइब्रेटरी स्क्रीन सिस्टम एवं कन्वेयर लगाये गये हैं। स्क्रीन को एम.एस. शीट से कवर किया गया है।

5. **उत्पादन प्रारंभ दिनांक की जानकारी** – क्रेशर इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार सम्मति प्राप्त नहीं की गई है। क्रेशर संचालक द्वारा एक पत्थर खदान की लीज स्वीकृत कराई गई है, परन्तु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उत्खनन प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी गई है। खदान क्षेत्र में ही स्टोन क्रेशर की स्थापना की गई है। क्रेशर संचालक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार क्रेशर की स्थापना फरवरी 2020 में की गई है एवं मार्च 2020 में ट्रायल उत्पादन लगभग 8–10 दिन किया गया, तत्पश्चात कोविड–19 के समय लाकडाउन प्रारंभ हो जाने के कारण क्रेशर इकाई को बंद कर दिया गया। इसी संबंध में ग्राम पामाखेडी के सरपंच द्वारा प्रस्तुत पत्र में माह फरवरी 2020 में स्टोन क्रेशर स्थापित तथा माह मार्च 2020 में बंद होना बताया गया है, क्रेशर स्थल के आस–पास अन्य कार्यरत लोगों से भी चर्चा की गई, उन लोगों द्वारा दी गई जानकारी भी उपरोक्तानुसार ही है। अतः स्टोन क्रेशर का उत्पादन प्रारंभ/संचालन समय दिनांक 25.02.2020 से 22.03.2020 तक कुल 26 दिवस माना जा सकता है। उद्योग को कार्यालय द्वारा पत्र क. 508 दिनांक 29.08.2020 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत धारा 31 (क) के तहत् बंद के निर्देश भी जारी किये गये। आज दिनांक तक स्टोन क्रेशर इकाई से उत्पादन कार्य बंद है।

(डॉ.आर.के.जैन)
मुख्य रसायनज्ञ
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर

(राजेश कुमार मांगोले)
खनि. निरीक्षक
खनिज विभाग, सागर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH BG 417280

समक्ष श्रीमान नोटरी महोदय सागर म.प्र.

प्रस्तुत :- क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर

// शपथ पत्र //

मै आशीष xxxx राघव आयु 35 वर्ष तनय स्व. श्री भूषण राघव निवासी - मधुकरशाह वार्ड क्रिश्चियन कालोनी सागर मै निम्न कथन कहता हूं कि :-

1- यह कि खदान ईकाई 552/1 रकवा नंबर एक हेक्टेयर ग्राम पामाखेडी तह. जिला सागर क्रेशर प्लांट स्थित है ।

2- यह कि मेरे द्वारा 03 फरवरी 2020 से क्रेशर प्लांट निर्माण कार्य शुरु किया था । चूंकि मार्च 2020 से कोविड 19 महामारी के कारण मेरे द्वारा उक्त निर्माण कार्य बंद कर दिया था तथा पर्यावरण एवं विभाग की अनुमति कोविड 19 महामारी के कारण अनुमति आवेदन भी प्रस्तुत नही कर सका । जिस कारण उपरोक्त निर्माण कार्य आज दिनांक पूर्ण रूप से बंद है ।

3- यह कि मेरे द्वारा प्लान्ट निर्माण के समय प्लान्ट की टेस्टिंग की गई है कि मेरे द्वारा पिट पास जारी ना होने के कारण निर्माण कार्य को आज दिनांक तक बंद रखा गया है उक्त पिट पास पर्यावरण विभाग की अनुमति के बाद ही

उक्त कार्य सुचारू रूप से किया जाएगा । जिसमें मुझे शासन एवं विभाग की समस्त शर्तें मान्य एवं स्वीकार होगी एवं उक्त कार्य जब तक शासन चाहे मैं करूंगा ।

अतः शपथ पत्र प्रस्तुत है ।

सागर दिनांक 1-10-2020 शपथकर्ता A.R. ---------

ATTESTED

// सत्यापन //

मैं आशीष राघव तनय स्व. श्री भूषण राघव निवासी मधुकरशाह वार्ड क्रिश्चियन कालोनी सागर सत्यापित करता हूं कि शपथ पत्र के पैरा क्रमांक -1 से 3 तक के कथन स्वतः के ज्ञान से सही व सत्य है ।

सागर दिनांक 1-10-2020 शपथकर्ता A.R. ---------

ATTESTED

गवाह
रिचर्ड थास
S/o श्री जी. थास
क्रिश्चियन कालोनी सागर
(म.प्र.)

मेरे समक्ष दिनांक 1-10-20

6910/2020

जितेन्द्र सिंह राजपूत
नोटरी
सागर (म.प्र.)
1.10.20

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सागर (म.प्र.)

महोदय,

नम्र निवेदन है कि मैं ग्राम सरंपच पामाखेड़ी छोटेलाल निवासी टीलाखेड़ी आपको सूचित करता हूँ कि ग्राम पामाखेड़ी स्थित खसरा क्र. 552/1 रकवा 1.00 हेक्टेयर का पट्टा जो कि आशीष राघव वल्द भूषण राघव निवासी क्रिश्चियन कॉलोनी को स्वीकृत है। जिसमें स्टोन क्रेशर प्लांट के निर्माण का कार्य फरवरी माह से किया गया था। कोविड–19 कोरोना महामारी के कारण मार्च माह से बंद है। इस प्लांट का परीक्षण ट्रायल लिया गया है जो कि आज दिनांक तक बंद है। जिसकी सूचना इस पत्र के माध्यम से दे रहा हूँ।

धन्यवाद

दिनांक : 08/10/20

संरपच पामाखेड़ी
छोटेलाल
सरपंच
ग्राम पंचायत पामाखेड़ी
जनपद पंचायत सागर (म.प्र.)